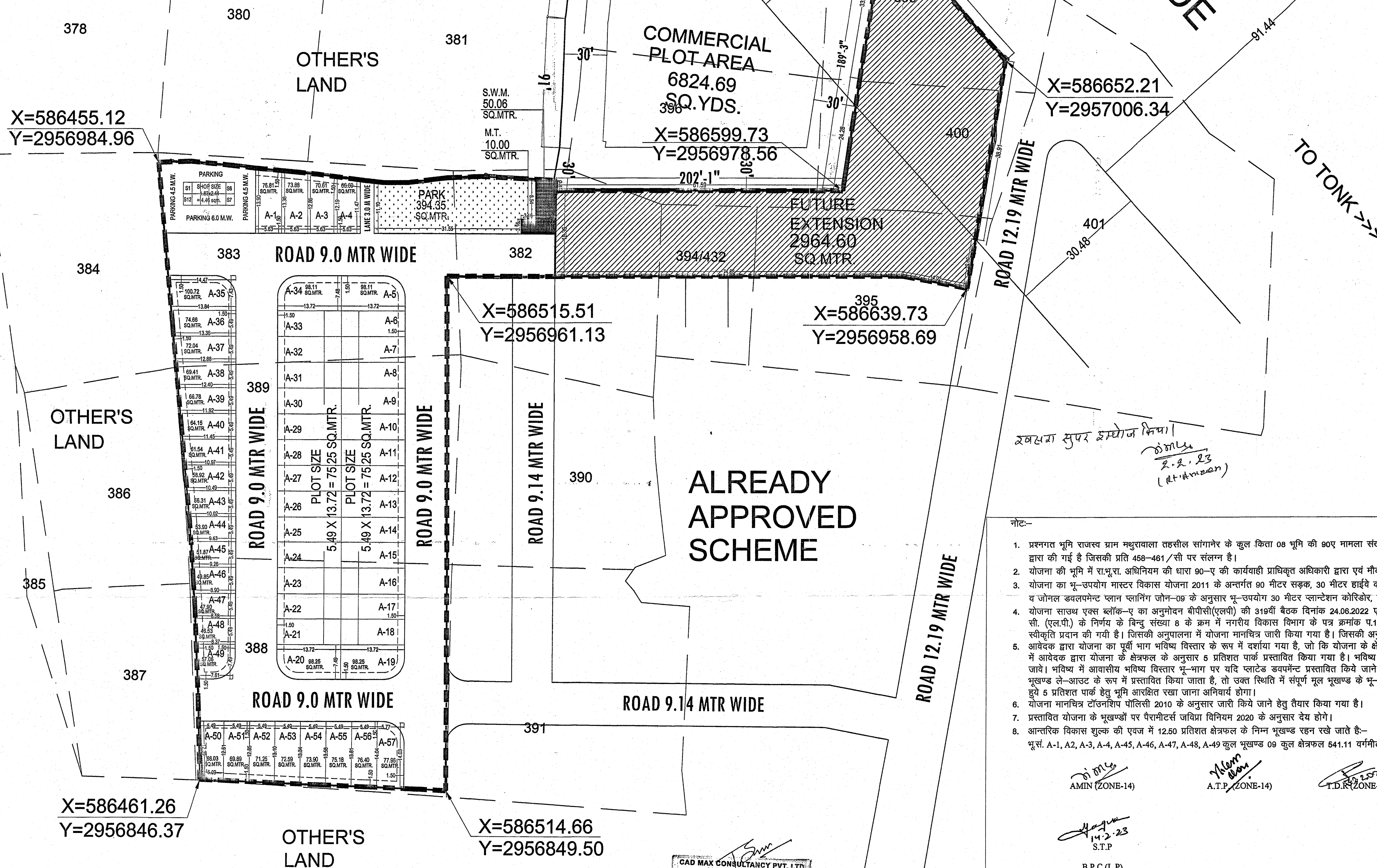


LAYOUT PLAN OF SOUTH-EX "A-BLOCK"

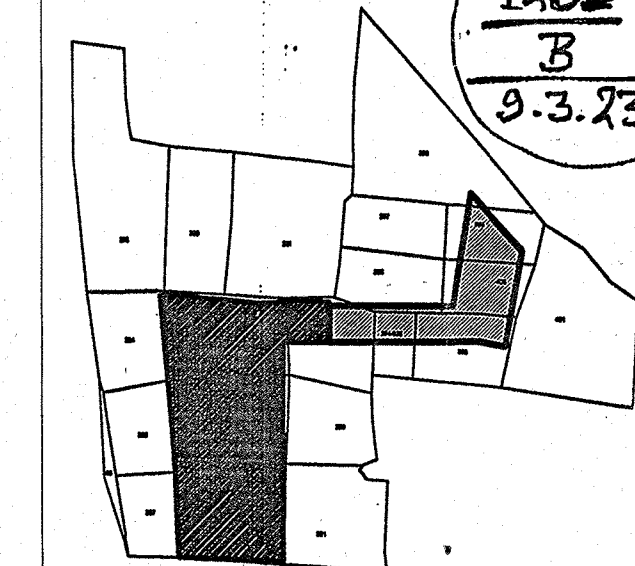
UNDER KHASRA NO.- 382, 383,
388, 389, 394/432, 395, 399, 400.
AT VILLAGE :- MATHURAWALA,
TEH.- SANGANER, JAIPUR.

SCALE:- 1:500



ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र



दिशा सूचक



मास्टर विकास योजना २०२२ के अनुसार प्रत्यक्ष
आवासीय भूखण्डों की विवरण स्थिति :-
१. कुल आवासीय भूखण्ड = ५७
२. कुल वाणिज्यिक भूखण्ड = ५-१२

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR)	(%)
1.	RESIDENTIAL	4152.02	52.64 %
2.	RETAIL	53.58	0.68 %
TOTAL=(1 TO 2)		4205.60	53.32 %
3.	PARK	394.35	5.00 %
4.	S.W.M.	50.06	0.63 %
5.	MOBILE TOWER	10.00	0.13 %
6.	ROAD	3227.13	40.92 %
TOTAL=(3 TO 6)		3681.54	46.68 %
SCHEME AREA		7887.14	100.00%
7.	FUTURE EXTENSION	2964.60	
8.	300' WIDE ROAD SURR.AREA	2592.84	

योजना का नाम:-

PROPOSED LAYOUT PLAN OF
SOUTH-EX "A-BLOCK"
UNDER KHASRA NO.- 382, 383, 388, 389, 394/432, 395, 399, 400.
AT VILLAGE :- MATHURAWALA, TEH.- SANGANER, JAIPUR.

जोन संख्या = 14

दिमाग :- 1:500

सहायक नगर नियोजक अति.सहायक नगर नियोजक वरिष्ठ नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण



नोट:-

- प्रस्तावित भूमि राजस्व ग्राम मथुरावाला तहसील सांगानेर के कुल किता 08 भूमि की 90ए मामला संख्या 21/2012 व 23/2012-दिनांक 12.09.2012 एवं के द्वारा की गई है जिसकी प्रति 458-461/सी पर संलग्न है।
- योजना की भूमि में रा.भू.स. अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मीके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत 90 मीटर सड़क, 30 मीटर हाईवे कन्ट्रोल बेल्ट व ग्रामीण दर्शित है एवं मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल डेवलपमेंट प्लान प्लानिंग जोन-09 के अनुसार भू-उपयोग 30 मीटर प्लान्टेशन कोरिडोर, कॉमर्शियल, आवासीय दर्शित है।
- योजना साइथ एक्स ब्लॉक-ए का अनुमोदन सीपीसी(एनपी) की 319वीं बैठक दिनांक 24.08.2022 एवं 323वीं बैठक दिनांक 24.08.2022 में किया गया है तथा सी.पी.सी. (एनपी) के निर्णय के बिन्दु संख्या 8 के क्रम में नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.1(215)नवि/जयपुर/2022 जयपुर दिनांक 28.12.2022 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसकी अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है। जिसकी अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- आवेदनक द्वारा योजना का पूर्ण भाग भविष्य विस्तार के रूप में दर्शाया गया है, जो कि योजना के क्षेत्रफल विस्तार में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित योजना में आवेदनक द्वारा योजना के क्षेत्रफल के अनुसार 5 प्रतिशत पार्क प्रस्तावित किया गया है। भविष्य विस्तार के भू-भाग को आवेदनक भविष्य विस्तार भू-भाग माना जाये। भविष्य में आवेदनक भविष्य विस्तार भू-भाग पर यदि प्लॉट डेवलपमेंट प्रस्तावित किये जाने की स्थिति में 5 प्रतिशत पार्क आरक्षित रखा जाये। यदि एकल भूखण्ड ले-आउट के रूप में प्रस्तावित किया जाता है, तो उक्त स्थिति में संपूर्ण मूल भूखण्ड के भू-भाग के क्षेत्रफल के आधार पर 70:30 के आधार पर गणना करते हुये 5 प्रतिशत पार्क हेतु भूमि आरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा।
- योजना मानचित्र टॉउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स जयिमा विनियम 2020 के अनुसार देय होंगे।
- आन्तरिक विकास शुल्क की एवज में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड रहन रखे जाते हैं:-
भू.सं. A-1, A2, A-3, A-4, A-45, A-46, A-47, A-48, A-49 कुल भूखण्ड 09 कुल क्षेत्रफल 541.11 वर्गमीटर

AMIN (ZONE-14)

A.T.P. (ZONE-14)

T.D.R. (ZONE-14)

D.C. (ZONE-14)

B.P.C.(L.P)

B.P.C.(L.P)

CAD MAX CONSULTANCY PVT. LTD.
301-302, Prim Tower,
Opp. Rajasthan Police Head Quarter,
Lal Kothi Scheme, Jaipur
Ph: 0141-4111111